न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 39/2018

अपीलान्ट्स

दरियाव कंवर पत्नी नारायणसिंह, जाति राजपूत, निवासी खुडियाला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. आईदान सिंह पुत्र विजय सिंह, जाति राजपूत निवासी गजेसिंह की ढाणियां पाबुनगर, खुडियाला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. माधोसिंह पुत्र विजयसिंह, जाति राजपूत, निवासी मकान नम्बर 511, सनराईज विद्यालय के पास, गली नम्बर 20, बीजेएस कॉलोनी, जिला जोधपुर।
3. तहसीलदार, बालेसर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश श्रीमान तहसीलदार, बालेसर के क्रमांक रा0लो0अ0 बंटवाडा/2017/196 निर्णय दिनांक 01.06.2017 को पारित किया।

उपस्थिति : –

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री गुलाबसिंह चम्पावत उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री किशोरसिंह राठौड़ उपस्थित।

–:: **आदेश** ::– दिनांकः–07.09.2018

अपीलार्थीगण के अभिभाषक श्री गुलाबसिंह चम्पावत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश श्रीमान तहसीलदार, बालेसर के क्रमांक रा0लो0अ0 बंटवाडा/2017/196 निर्णय दिनांक 01.06.2017 को पारित किया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के कृषि भूमि खसरा नं0 357/1 कुल रकबा 50.00 बीघा के सहखातेदार राजस्व रेकर्ड में अंकित है। उक्त भूमि के खातेदारों ने आपस में बंटवाडा करने के लिए लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति बंटवाडा प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने मौके की रिपोर्ट पटवारी हल्का से नहीं मंगवाई तथा सहखातेदारों के बीच आपसी सहमति बंटवाडा का सही उल्लेख नहीं किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या

एक व दो की ओर से अभिभाषक श्री किशोरसिंह राठौड़ ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया। मूल अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, बालेसर के पत्र क्रंमाक/भू0अ0/2018/2296 दिनांक 03.08.2018 के जरिये प्राप्त हुआ। इस प्रकरण में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के बीच आपसी राजीनामा के अनुसार बंटवाडा की डिक्री पारित करने बाबत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने आपसी राजीनामा के अनुसार बंटवाडा स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया कि ग्राम खुड़ियाला तहसील बालेसर के कृषि भूमि खसरा नं0 357/1 रकबा 50 बीघा आई हुई है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट ने उक्त खसरान् की भूमि का आपसी सहमति से बंटवाडा करने का प्रार्थना–पत्र तहसीलदार, बालेसर के समक्ष पेश किया था तथा उक्त खसरान् की भूमि का अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट एक व दो का अलग हक/हिस्सा अलग खसरा नं0 व अलग रकबा निर्धारित करते हुए अलग–अलग लगान तय करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया था परन्तु तहसीलदार, बालेसर ने हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट मंगवाये बिना आदेश पारित कर दिया जबकि आपसी सहमति के आधार पर बंटवाडे कराने पर मौका रिपोर्ट मंगवाना अत्यन्त आवश्यक है। मौके के अनुसार नक्शे में तरमीम नहीं की गई तथा सहखातेदार आईदानसिंह का खसरा नं0 व रकबा मौके की स्थिति व आपसी सहमति के अनुसार नहीं दर्शाया गया।

अपीलान्ट दरियावकंवर का खसरा नं0 357/1 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा सही दर्शाया गया है। रेस्पोडेन्ट माधोसिंह पुत्र विजयसिंह का खसरा नं0 357/3 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा सही दर्शाया गया है तथा खसरा नं0 357/5 का रकबा 4 बीघा सही दर्शाया गया है तथा कुल रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा सही दर्शाया गया है। रेस्पोडेन्ट आईदानसिंह पुत्र विजयसिंह का खसरा नं0 357/4 रकबा 15 बीघा भूमि दर्शायी है जबकि उक्त खसरान् की भूमि में आपसी बंटवाडे अनुसार रकबा 15.13 बीघा दर्शानी चाहिए थी। खसरा नं0 357/6 का रकबा 1 बीघा दर्शाना चाहिए था उसकी जगह रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा दर्शा दिया गया है तथा कुल रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा सही दर्शाया है। इस प्रकार प्रस्तुत आपसी सहमति के बंटवाडे अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि आपसी राजीनामा का संशोधित बंटवाडा का आदेश पारित किया जावें तथा नक्शे में भी तरमीम आपसी राजीनामा के अनुसार किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थिया ने अपील मीमो के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश 01.06.2017 को आपसी सहमति से

पारित किया गया था परन्तु उक्त आदेश की नकल अपीलान्ट द्वारा नहीं ली गई। उक्त आदेश की नकल लेने के लिए पटवारी हल्का से दिनांक 04.07.2018 को सम्पर्क करने पर बताया कि नकल तहसील कार्यालय में मिलेगी। नकल हेतु आवेदन करने पर अपीलाधीन आदेश की नकल 06.07.2018 को प्राप्त हुई। अपीलान्ट ग्रामीण क्षेत्र की अशिक्षित महिला है। नकल प्राप्त होने पर अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है जिसे अन्दर मियाद मानते हुए अपील को मैरिट के आधार पर निर्णय करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक बहस पर मनन किया पत्रावली का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो द्वारा प्रस्तुत आपसी राजीनामें के अनुसार बंटवाडा की डिक्री पारित करने बाबत् प्रार्थना–पत्र का भी अवलोकन किया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद मानी जाती है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बालेसर के आदेश क्रंमाक रा0लो0अ0 / बंटवाडा / 2017 / 196 निर्णय दिनांक 01.06.2017 को अपास्त किया जाता है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो को निर्देश है कि वह अपने आपसी सहमति से राजीनामें के अनुसार नये सिरे से बंटवाडा कराने हेतु तहसीलदार, बालेसर के यहां प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करें।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर